

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्रांक...../

सं०सं०-3/उ०नि०/विविध (शुल्क)-15/2018

प्रेषक:-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री दिव्य गुप्ता, प्रीसिपल डायरेक्टर (ए०एच०डी०),
इंटेक, 71 लोदी इस्टेट, नई दिल्ली-110003,
फैक्स नं०-91-11-24611290

पटना, दिनांक.....

विषय :- उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु० संस्थान, पटना के परिसर में क्राफ्ट केन्द्र के निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-152, दिनांक-03.01.2019 के आलोक में कहना है कि उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु० संस्थान, पटना का परिसर में क्राफ्ट केन्द्र के निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण हेतु इंटेक, नई दिल्ली को नामित किया गया है। जिसके आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०-4604, दिनांक-18.12.2018 निर्गत है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त विमुक्त राशि का भुगतान प्रस्तावित क्राफ्ट केन्द्र के निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जायेगी।

अतः निदेश है कि उक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई हेतु उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना से समन्वय/सम्पर्क स्थापित करें।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

दिनांक.....

ज्ञापांक-.....

प्रतिलिपि :- उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सं०सं०-668

प्रतिलिपि :- आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को फैक्स करने हेतु एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सं०सं०-29.01.19

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

22.1.19